ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

ा. मु. 88/2024

1 राकेश कुमार जैन पुत्र स्व. विजयसिंह जैन (छाजेड़) जाति महाजन निवासी वार्ड न. 11, गर्ल्स स्कूल के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान हाल आवाद 801, 33rd main, ideal home Society, Near Rajeshwari School, Raj Rajeshwari Nagar, Bangalore, South, Karnataka, 560098 आधार नम्बर 6443 8248 3392

वादी

बनाम

1 मनोज कुमार डागा पुत्र श्री जवरीमल डागा जाति महाजन निवासी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान हाल आवाद Rajeshwari Homes Apts, 10 th cross, Flat 3A Near ideal homes Club, Ideal Homes Society, Rajeshwari Nagar, Bangalore, South, Karnataka, 560098

2 गुलाब देवी जैन पत्नि स्व. बिजयसिंह जैन (छाजेड़) जाति महाजन निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान हाल आबाद 801, 33rd main, ideal home Society, Near Rajeshwari School, Rajeshwari Nagar, Bangalore, South, Karnataka, 560098

3 प्रदीप कुमार जैन स्व. विजयसिंह जैन (छाजेड़) जाति महाजन निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान हाल आबाद 801, 33rd main, 24th Cross, ideal home Society, R R Nagar, Kenchenahalli, Bangalore South, Karnataka, 560098

4 प्रकाश कुमार जैन स्व. विजयसिंह जैन (छाजेड़) जाति महाजन निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान हाल आबाद 801, 33rd main, 24th Cross, ideal home Society, R R Nagar, Kenchenahalli, Bangalore South, Karnataka, 560098

5 श्रीमती आचुकी देवी पत्नि मानाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील तहसील बीदासर चूरू

6 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

7 राज. सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति ,बन्टवारा व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88ए, 53, 92क, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 श्री अख्तर सोलंकी

3 प्रतिवादी स. 7 – पैरोकार राज.

अन्तिम **निर्णय** दिनांक :– 16/10/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही राजस्व ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर में खेत खसरा नम्बर 1353 रकबा 6.0196 हैक्टेयर (23–16 बीघा) संयुक्त खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के पिता विजयसिंह छाजेड़ पुत्र हरकचन्द की खरीद शुदा भूमि सम्पति है, वादगत भूमि में वादी के पिता का खरीद के वक्त से उतरादी पाखी में पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक कब्जा काश्त रहा है।

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादगत सम्पूर्ण खसरा भूमि के उत्तर में खसरा नम्बर 1351 अणची पत्नि खीयाराम जाट, दक्षिण में खसरा नम्बर 2044/135 इन्द्रा पत्नि परताराम आदि व खसरा नम्बर 1355 साजनराम मेघवाल, पूर्वी तरफ चासरा नम्बर 1345 हाल सड़क कालेरा ढ़ाणी व पश्चिमी तरफ 1963/1352 धापू देवी पत्नि कानाराम जाट है वादगत भूमि सम्पति में वादी के पिता विजयसिंह छाजेड़ का खरीद के वक्त से ही उतरी पाखी के 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त रहा है, जिसके पुख्ता पक्की सींव उतरी, दक्षिणी, पश्चिमी तरफ की वर्षो पुरानी कायम है पूर्वी तरफ पुख्ता पक्की दिवार कायम है। वादगत भूमि सम्पति के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का निवास स्थान कालेरां की ढ़ाणी दर्ज है जबकी वादी के पिता विजयसिंह छाजेड़ बीदासर के मूल निवासी रहे है तथा अब वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 बीदासर के मूल निवासी खातेदार कृषक है वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा के वर्तमान रेकार्डेड खातेदार वादी के पिता विजयसिंह छाजेड़ का दिनांक 31/5/2018 को स्वर्गवास हो चुका है, स्व. विजयसिंह छाजेड़ के वारिसान् में गुलाबदेवी (पत्नि), मनोज कुमार डागा, राकेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, प्रकाश कुमार जैन चार पुत्रगण सन्तान हुए वादगत भूमि के खातेदार विजयसिंह छाजेड़ के ज्येष्ठ पुत्र को उनकी बाल्यावस्था उम्र करीब 3 वर्ष की उम्र में ही वादी की भुवा श्रीमती मनफुलीदेवी डागा के कोई पुत्र पुत्री सन्तान नहीं होने के कारण वादी के सगे भाई प्रतिवादी सख्या 1 मनोज कुमार डागा को अपना दतक पुत्र बना लिया था और प्रतिवादी सख्या 1 का बाल्यावस्था से पालन पोषण भुवा श्रीमती मनफुलीदेवी डागा के द्वारा ही किया गया था, प्रतिवादी सख्या 1 की शिक्षा, विवाह आदि समस्त कार्य भुवा श्रीमती मनफुलीदेवी डागा के द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे तथा प्रतिवादी सख्या 1 के पहचान सम्बन्धि समस्त दस्तावेजों में पिता व माता का नाम जवरीमल डागा व श्रीमती मनफुली देवी डागा दर्ज है। दस्तावेजी कार्यवाही स्वरूप श्रीमती मनफुली देवी ने दतक लेख पत्र दिनांक 1/6/1989 को सम्पादित करवा कर दिनांक 2/6/1989 को कार्यालय उप पंजीयक बीदासर में पंजीयन करवा दिया था, तब से मनोज कुमार डागा का वादी के पिता की समस्त प्रकार की सम्पति से हक हिस्सा समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी सख्या 1 के फुफा जवरीमल डागा व भुवा श्रीमती मनफुलीदेवी डागा यानि माता–पिता की समस्त प्रकार की चल अचल सम्पति का उपयोग उपभोग बहैशियत वारिस के प्रतिवादी सख्या 1 के द्वारा ही किया जा रहा है यानि प्रतिवादी सख्या 1 के अपने प्राकृतिक पिता विजयसिंह छाजेड़ की समस्त प्रकार की चल अचल सम्पति से अधिकार समाप्त होकर समस्त प्रकार के अधिकार जवरीमल डागा की सम्पति में निहित हो चुके है। वादगत भूमि सम्पति पर प्रतिवादी सख्या 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही प्रतिवादी सख्या 1 को वादगत भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी है। वादी के पिता विजयसिंह छाजेड़ के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि सम्पति हिस्सा पर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का साधिकार पूर्वक कब्जा दखल चला आ रहा है। वादी ने अपने पिता का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाने वास्ते प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 से एवं प्रतिवादी सख्या 5 से वादगत भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कई दिनो टालमटोल करते रहे। अन्त में दिनांक 16/11/2024 को प्रतिवादीगण विरास्तन नामानतरकरण दर्ज करवाने, खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने एवं विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया और ऐलानिया कहा की हम जहां चाहे कब्जा करेगे आदि ऐलानिया धमकीया दी। जिससे वादी को वाद हैतुक एवं वादाधार प्राप्त है। वादगत भूमि 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के पिता विजयसिंह छाजेड़ के वक्त की कब्जा काश्त एवं मालिकाना अधिकारों की भूमि है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। वादगत हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग वादी के पिता के समय से संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का चला आ रहा है। प्रतिवादी स. 1 वर्तमान रेकार्डेड खातेदार विजयसिंह छाजेड़ की प्राकृतिक सन्तान होने के आधार पर गलत खातेदारी दर्ज करवा कर वादी को बैदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्तीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। दिनांक 16–11–2024 को प्रतिवादीगण की धमकीयो के कारण न्यायालय की सहायता से तुरन्त वर्जित करवाया जाना आवश्यक है इस कारण वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का हो गया है

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ऐसी स्थिति में वादी के पास इतना माकुल समय नहीं है कि दो माह का पूर्व नोटिस प्रेषित कर सके। यदि वादी को जबरन बैदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्तीय क्षति होगी और वाद प्रस्तुत करने का मकशद ही समाप्त हो जावेगा। ऐसी स्थिति में धारा 80(2) जाब्ता दिवानी के नोटिस से छूट जुदा गाना ली जाकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है वादगत कृषि भूमि रोही कालेरां की ढ़ाणी तहसील वीदसर जिला चूरू में स्थित है जिसके लिए वाद उचित 10/— रू. के न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावें वादगत खेत खसरा नम्बर 1353 रकबा 6.0196 हैक्टेयर (23—16 बीघा) के 1/2 हिस्सा की खातेदारी से वादी के पिता का नाम स्वर्गवास के कारण हटाया जाकर वादगत हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 के व. हि. वराबर दर्ज की जाये साथ ही निवास स्थान कालेरां की ढ़ाणी के स्थान पर बीदासर अंकित किया जाकर प्रतिवादी सख्या 5 से विभाजन किया जाये। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि वादगत खेत का विक्रय बन्धक हस्तान्तरण नहीं किया जावें तथा प्रतिवादी सख्या 1 वादगत खेत हिस्सा में प्रवेश नहीं करें तथा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 को प्रवेश करने, काश्त करने से रौके नहीं ना ही ऐसा कोई कृत्य या फैल करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर किसी प्रकार से विपरीत असर पडे आदि आदि अनुतोश चाहा।

उपरोक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 18.2.2025 को प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की और से श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेटे द्वारा वकालतनामा मय इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सख्या 5, 6 बावजूद प्रर्याप्त तामील के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी स. 5, 6 के विरूद्ध दिनांक 27.05.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो आज तक अस्तित्व में है इस प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को विवादित नहीं किया गया है। इस प्रकरण में भू धारक सरकार की ओर से तहसीलदार बीदासर ने जवाब दावा प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई है प्रतिवादीगण की और से वाद में किसी प्रकार की मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, वादी की और से अपने वाद को साबित करने के लिए वादी राकेश कुमार जैन ने बतौर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी ने ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने वा साक्ष्य वादी बन्द की गई। बहस अन्तिम सुनी गई, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, साररूप से वाद एवं प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी, छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र, छाया प्रति गोदनामा व साक्ष्य शपथ पत्र के समर्ग अवलोकन से इस प्रकरण में यह प्रकट स्थिति है कि वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 1353 में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी के पिता विजयसिंहछोजड़ पुत्र हरकचन्द के नाम दर्ज है, वादी के पिता रेकॉर्डेड खातेदार विजयसिंहछाजेड़ का स्वर्गवास हो चुका है जिनके प्राकृतिक विधिक वारिसान में से पुत्र मनोज कुमार डागा प्रतिवादी स. 1 गोद जा चुका है। वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद से वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा पर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से चला आ रहा है प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट स्थिति रही है कि वादी के पिता विजययिंहछाजेड़ की मृत्यू के बाद वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादी स. 2 ता 4 का रहा है, प्रतिवादी सख्या 1 मनोज कुमार डागा के पंजीकृत गोदनामा के आधार गोद चले जाने के कारण वादगत भूमि से समस्त प्रकार के अधिकार समाप्त हो चुका है। वागदत भूमि की खातेदारी रेकार्ड

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चुरू)

में वादी के पिता का निवास स्थान बीदासर की बजाय कालेरा की ढ़ाणी अंकित है जो शुद्ध करवाना चाहता है। वादी के वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई विरोधाभासी कथन एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वाद के तथ्य अखण्डनीय है। फलतः वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड 1/2 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी स. 2 ता 4 के वर्तमान खातेदारी अधिकारों के सामने शून्य हो जाती है और वादी व प्रतिवादी स. 2 ता 4 वादगत खेत के 1/2 हिस्सा की खातेदारी में अपने नाम की घोषणा करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में निवास स्थाल कालेरा की ढ़ाणी के बजाय बीदासर शुद्ध करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने पर दिनांक 26.06.2025 को दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सख्या 7 राज सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर को वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने का आदेश दिया गया एवं भू धारक तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि इस बारे में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। भू धारक तहसीलदार बीदासर द्वारा आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर पक्षकारान् को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा मौका हिस्सा पांती के संबध में किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है अतः दावा अन्तिम रूप से बाबत विभाजन डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1353 रकबा 6.0196 हैक्टेयर रोही कालेराकीढ़ाणी में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2, 3, 4 की हिस्सा भूमि संयुक्त तथा प्रतिवादी सख्या 5 की हिस्सा भूमि विभाजन प्रस्ताव में वर्णितानुसार अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव प्रति अन्तिम डिक्री के साथ रहे। अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16 /10 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
बीदासर (चूरू)